पुनरीक्षित आदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्र./प्रशि./एमओ-जेएसएस/2018/378 भोपाल, दिनांक 12/07/2018

प्रति,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जिला – छतरपुर, दमोह, धार, शहडोल, झाबुआ, बड़वानी, बैतूल, खंडवा, सागर
मध्य प्रदेश

विषय : चिकित्सा अधिकारियों के लिये जन स्वास्थ्य संस्थान, गनियारी में प्रशिक्षण – दिनांक 23-28 जुलाई 2018 ।

जन स्वास्थ्य सहयोग, गनियारी एक स्वयं सेवी संस्था है, यह संस्था छत्तीसगढ़ राज्य में बिलासपुर के समीप स्थित है। इस संस्था का उद्देश्य न्यूनतम लागत में स्वास्थ्य कार्यक्रमों से संबंधित निवारक (Preventive) एवं रोग निवारक (Curative) सुविधाऐं क्षेत्र के गरीब एवं आदिवासी जनता को सुलभ एवं प्रभावी तरीके से उपलब्ध कराना है। जन स्वास्थ्य सहयोग के संबंध में विस्तृत जानकारी संस्था की वेब साईट http://www.jssbilaspur.org/about-jss/ पर देखी जा सकती है।

जन स्वास्थ्य सहयोग के माध्यम से प्रदेश के नवनियुक्त चिकित्सा अधिकारियों के लिये एक सप्ताह के आधारभूत प्रशिक्षण की श्रृंखला प्रारंभ की जा रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का तृतीय सत्र दिनांक 23-28 जुलाई 2018 तक आयोजित किया गया है जिसमे भाग लेने हेतु निम्न चिकित्सा अधिकारियों को नामांकित किया जाता है-

क्रं.	चिकित्सा अधिकारी का नाम	संपर्क नंबर	पदस्थापना स्थल	जिला
1.	डॉ पीयूष चर्तुवेदी	8120338122	सास्वाके बीजावर	छतरपुर
2.	डॉ आनंद चौरसिया	7869638988	प्रास्वाके गढ़ी मल्हरा	छतरपुर
3.	डॉ प्रियंका सक्सेना	7693964913	प्रास्वाके लखनगुवॉ	छतरपुर
4.	डॉ जय कुमार जैन	9424084044	प्रास्वाके बांसाकला	दमोह
5.	डॉ अमन श्रीवास्तव	9039291235	प्रास्वाके बांदकपुर	दमोह
6.	डॉ पियूष तिवारी	9826501342	प्रास्वाके नालछा	धार
7.	डॉ दिनेश चौहान	9630727019	प्रास्वाके उमरबन	धार
8.	डॉ अंजली सिंह कुँवर	7389715796	प्रास्वाके बिरहाली	शहडोल
9.	डॉ सीता काग	9575897855	प्रास्वाके रायपुरिया	झाबुआ
10.	डॉ वैशाली चौहान	9009967662	सास्वाके पलसुद	बड़वानी
11.	डॉ श्वेता दफ्तरी शर्मा	9584629836	प्रास्वाके बाबदड़	बड़वानी
12.	डॉ उदय प्रताप सिंह तोमर	9752820009	प्रास्वाके रौंधा	बैतूल
13.	डॉ सज्जन सिंह सेंगर	9754879999	सास्वाके खालवा	खंडवा
14.	डॉ प्रज्ञा श्रोत्रीय	8770796382	प्रास्वाके भानगढ़	सागर

प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने हेतु संलग्न सूची अनुसार चिकित्सा अधिकारियों का नामांकन किया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान निम्न निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य है:-

1. समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु समय पर उपस्थित होना सुनिश्चित करे।
2. प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षणार्थियों के ठहरने की व्यवस्था गनियारी अथवा बिलासपुर में संस्थान के द्वारा ट्वीन शेयरिंग आधार पर रहेगी।
3. प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण अवधी के लिये यात्रा/दैनिक भत्तें का भुगतान शासकीय नियमानुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत प्रशिक्षण मद से किया जावेगा।
4. प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नही करने पर संबंधित चिकित्सा अधिकारी को उक्त अवधि में कार्य से अनुपस्थित माना जावेगा।
5. प्रशिक्षण के दौरान बिना अनुमति लिये अनुपस्थित रहने पर संबंधित चिकित्सा अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
6. प्रशिक्षण में सिमीत संख्या में ही प्रशिक्षण दिया जायेगा अतः प्रशिक्षण में केवल संचालनालय द्वारा नामांकित चिकित्सा अधिकारियों को ही भाग लेने की अनुमति होगी।
7. नामांकित चिकित्सा अधिकारी को प्रशिक्षण में भाग लेना अनिवार्य है, प्रशिक्षण में भाग नही लेने पर संबंधित चिकित्सा अधिकारी से प्रशिक्षण पर हुए व्यय की राशि वसूली योग्य होगी।
8. नामांकित अधिकारी यदि किसी विशेष कारणवश प्रशिक्षण में भाग लेने में असमर्थ हो तो इस संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता से पूर्व अनुमति ई-मेल आईडी **munshi.rakesh@gmail.com** पर प्राप्त करना आवश्यक है।
9. प्रशिक्षण के दौरान सभी प्रशिक्षणार्थियों को जन स्वास्थ्य सहयोग के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम से संबंधित जानकारी, ठहरने की व्यवस्था एवं बिलासपुर रेलवे स्टेशन से संस्थान पहुँचने के लिये वाहन व्यवस्था हेतु डॉ रवींद्र कुरबड़े से 9221243418 अथवा सुश्री रोजलीन से 8018236971 पर संपर्क किया जा सकता है।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(राकेश मुंशी) 12/7

संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

पृ. क्र./प्रशि./एमओ-जेएसएस/2018/379 भोपाल, दिनांक 12/07/2018

प्रतिलिपिः-कृपया सूचनार्थ

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय,भोपाल।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।
3. डॉ रमन कटारिया, जन स्वास्थ्य सहयोग, गनियारी जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़)।
4. संबधित क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
5. संबंधित चिकित्सा अधिकारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश